



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16092021-229733
CG-DL-E-16092021-229733

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3475]
No. 3475]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2021/भाद्र 24, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2021/BHADRA 24, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2021

का.आ. 3787(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 2960 (अ) तारीख 22 जुलाई, 2021, जो भारत के असाधारण राजपत्र संख्या 2754 तारीख 27 जुलाई, 2021, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में कर्नाटक राज्य में हासन से चेरलापल्ली (तेलंगाना राज्य) तक एल.पी.जी के परिवहन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 23 अगस्त, 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर की उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है की इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है की उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तालुक :सिरा		जिला :तुमकुरु	राज्य :कर्नाटक	
क्रमांक	गाँव का नाम	सर्वे नं.	क्षेत्रफल	
			एकड़	गुंटा
1	2	3	4	5
1	1. हुनसेहली	137	00	01
2	2. दंडिकेरे	47/2	00	01
3		47/1	00	01
4		32/2	00	01
5		95	00	07
6		95/2	00	07
7		92	00	21
8		94/3	00	04
9		94/1	00	04
10		94/2	00	04
11		93/2	00	10
12		96/1	00	09
13		96/2	00	09
14		47/6	00	01
15	3.नारायणपुरा	25/1	00	02
16		20/1	00	01
17		21/1	00	05
18	4.द्यागेरहल्ली	64/5	00	03
19		57/23	00	04
20		57/22	00	06
21		59/5	00	05
22		59/1	00	04
23	5.होसुरु	198/1	00	01

24		215/1	00	07
25		215/2	00	05
26		215/5	00	01
27		38/1	00	03
28		35	00	12
29		87/1	00	13
30		94	00	01
31	6.मुददेनहल्ली	106	00	10
32		123	00	14
33		114	00	02
34		116	00	16
35		113	00	17
36		115	00	17
37		58/4	00	23
38	7.संकापुर	14	00	01
39	8.बेविनाहल्ली	214/1	00	03
40	9.चांगावार	134	00	03
41		194	00	01
42		423	00	02
43		422	00	10
44		421	00	11
45		420	00	07
46		327/10	00	04
47		327/9	00	06
48		132/4	00	11
49		132/8	00	08
50		132/6	00	10
51		132/5	00	09
52		419/2	00	16
53		327/11	00	07
54	10.करेहल्ली	66/3	00	02
55		81/3	00	03
56		68/2	00	02
57	11.नेजथि	121/6	00	07
58		121/5	00	07
59		121/4	00	05
60		121/1	00	01
61		120/4	00	01

62		120/5	00	19
63		120/1	00	12
64		139	00	11
65		140	00	10
66		137	00	21
67		138	00	13
68		141	00	07
69		130/2	00	12
70		130/3	00	11
71		150/3	00	19
72		51/7	00	02
73	12.तडकलुरु	153/7	00	09
74		153/6	00	36
75		226/1	00	03
76		359	00	08
77		256	00	10
78		255	00	19
79		3/6	00	01
80		92/1	00	01
81		16/2A	00	06
82		16/2B	00	01
83		20/2	00	02
84		22	00	03
85		273	00	20
86		301	00	25
87		300	00	02
88		265	00	24
89		3/1	00	03
90		30/4	00	08
91		30/6	00	08
92		30/8	00	01
93		172/10	00	01
94		173/3	00	04
95		153/5	00	05
96		153/8	00	11
97		153/9	00	10
98	13.चिरतहल्ली	167/4	00	08
99		168/2	00	15
100		170/4	00	03
101		170/5	00	22
102		171/1	00	30
103		179/2	00	01
104		180/1	00	02
105		187	00	01

106		189/2	00	05
107		169/6	00	11
108		169/4	00	11
109		174/12	00	05
110		168/5	00	04
111		174/4	00	06
112		183/2	00	03

[फा. सं. आर-12030(27)/2/2019-ओआर-1/ई-30930]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2021

S.O. 3787(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 2960(E) dated the 22nd July, 2021, issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipeline (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extraordinary Gazette of India No. 2754 dated the 27th July, 2021, the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in state of Telangana for transportation of LPG, from Hassan (Karnataka) to Cherlapalli (Telangana) Pipeline by Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL):

And whereas copies of the said Extraordinary Gazette notification were made available to the public up to 23rd August 2021;

And whereas the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of the Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the Right of User in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL), free from all encumbrances.

Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government for any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Taluk : Sira		District : Tumakuru	State : Karnataka	
Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Area	
			Acres	Guntas
1	2	3	4	5
1	1.Hunasehalli	137	00	01
2	2.Dandikere	47/2	00	01
3		47/1	00	01

4		32/2	00	01
5		95/2	00	07
6		95	00	07
7		92	00	21
8		94/3	00	04
9		94/1	00	04
10		94/2	00	04
11		93/2	00	10
12		96/1	00	09
13		96/2	00	09
14		47/6	00	01
15	3.Narayanpura	25/1	00	02
16		20/1	00	01
17		21/1	00	05
18	4.Dyagerahalli	64/5	00	03
19		57/23	00	04
20		57/22	00	06
21		59/5	00	05
22		59/1	00	04
23	5.Hosuru	198/1	00	01
24		215/1	00	07
25		215/2	00	05
26		215/5	00	01
27		38/1	00	03
28		35	00	12
29		87/1	00	13
30		94	00	01
31	6.Muddenahalli	106	00	10
32		123	00	14
33		114	00	02
34		116	00	16
35		113	00	17
36		115	00	17
37		58/4	00	23
38	7.Sankapura	14	00	01
39	8.Bevinahally	214/1	00	03
40	9.Changavara	134	00	03
41		194	00	01

42		423	00	02
43		422	00	10
44		421	00	11
45		420	00	07
46		327/10	00	04
47		327/9	00	06
48		132/4	00	11
49		132/8	00	08
50		132/6	00	10
51		132/5	00	09
52		419/2	00	16
53		327/11	00	07
54	10.Karehalli	66/3	00	02
55		81/3	00	03
56		68/2	00	02
57	11.Nejanthi	121/6	00	07
58		121/5	00	07
59		121/4	00	05
60		121/1	00	01
61		120/4	00	01
62		120/5	00	19
63		120/1	00	12
64		139	00	11
65		140	00	10
66		137	00	21
67		138	00	13
68		141	00	07
69		130/2	00	12
70		130/3	00	11
71		150/3	00	19
72		51/7	00	02
73	12.Thadakaluru	153/7	00	09
74		153/6	00	36
75		226/1	00	03
76		359	00	08
77		256	00	10
78		255	00	19
79		3/6	00	01
80		92/1	00	01
81		16/2A	00	06
82		16/2B	00	01
83		20/2	00	02

84		22	00	03
85		273	00	20
86		301	00	25
87		300	00	02
88		265	00	24
89		3/1	00	03
90		30/4	00	08
91		30/6	00	08
92		30/8	00	01
93		172/10	00	01
94		173/3	00	04
95		153/5	00	05
96		153/8	00	11
97		153/9	00	10
98		167/4	00	08
99		168/2	00	15
100		170/4	00	03
101		170/5	00	22
102		171/1	00	30
103		179/2	00	01
104		180/1	00	02
105		187	00	01
106		189/2	00	05
107		169/6	00	11
108		169/4	00	11
109		174/12	00	05
110		168/5	00	04
111		174/4	00	06
112		183/2	00	03

[F. No. R-12030(27)/2/2019-OR-I/E-30930]

P. SOMAKUMAR, Under Secy.